विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए दो अध्याय अन्तर्विष्ट हैं। अध्याय I में राजस्व क्षेत्र के अवनिर्धारण, कम भुगतान/राजस्व की हानि, ब्याज तथा जुर्माना इत्यादि के ₹ 98.39 करोड़ के तीन पैराग्राफ शामिल है तथा अध्याय II में सा.क्षे.उ. से संबंधित ₹ 81.50 करोड़ की एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा दो पैराग्राफ शामिल है। इस प्रकार, इस प्रतिवेदन में, जिसमें एक निष्पादन लेखा परीक्षा तथा पाँच लेखापरीक्षा पैराग्राफ है, की कुल धनराशि ₹ 179.89 करोड़ है। कुछ प्रमुख निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

अध्याय – I : राजस्व क्षेत्र

वर्ष 2012–13 के ₹ 25560.97 करोड़ की तुलना में सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2013–14 में ₹ 27980.69 करोड़ थी। इसमें से 95 प्रतिशत (₹ 25918.69 करोड़) कर राजस्व से तथा गैर–कर राजस्व (₹ 659.14 करोड़) से संग्रहित किया गया था। शेष पाँच प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 1,402.86 करोड़) के रुप में प्राप्त किया गया। कर राजस्व तथा गैर–कर राजस्व में वृद्धि पिछले वर्ष से क्रमशः 10.61 *प्रतिशत* तथा 5.14 प्रतिशत थी।

(*पैराग्राफ* 1.1.1)

वर्ष 2013–14 के दौरान व्यापार तथा कर, राज्य उत्पाद, परिवहन तथा राजस्व विभागों की 80 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच दिखाती है कि राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि के 2001 मामलों में ₹ 905.66 करोड़ की समेकित राशि थी। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने 2013–14 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए गए अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों के ₹ 20.83 करोड़ के 16 मामलों को स्वीकार किया।

(*पैराग्राफ* 1.1.8)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर

गैर–पंजीकृत निर्माण कार्य ठेकेदार, टर्नओवर का प्रतिवर्धन, रिटर्न्स फाईल नहीं किया जाना, टी डी एस की कटौती न किया जाना, तथा टर्नओवर के अवनिर्धारण के 55 मामलों का पता लगाने के लिए अंतर्विभागीय प्रति–सत्यापन की एक प्रणाली प्रारंभ करने में व्यापार एवं कर विभाग की असफलता के कारण ब्याज तथा जुर्माना सहित ₹ 98.26 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(*पैराग्राफ* 1.2)

मोटर वाहन कर

विभाग की त्रुटिपूर्ण संविदा प्रबंधन तथा विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई न किए जाने के फलस्वरुप वाहन मालिकों पर ₹ 3.19 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा। 1017764 वाहनों में से केवल 170581 वाहनों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट्स (एच.एस.आर.पी.) के साथ जोड़ा गया। विभाग के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना चल रहे वाहनों का पता लगाने की कोई कार्यप्रणाली नहीं थी।

(*पैराग्राफ* 1.4)

अध्याय–II : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति

31 मार्च 2014 तक 17 सा.क्षे.उ. (सभी कार्यशील) थे जिसमें 15 सरकारी कम्पनियाँ एवं दो सांविधिक निगम सम्मिलित थे। इन 17 सा.क्षे.उ. में निवेश 31 मार्च 2014 तक ₹ 28,518.73 करोड़ था। यह 2009–10 में 48 *प्रतिशत* से बढ़कर ₹ 19327.44 करोड़ हो गया। 2013–14 के दौरान सरकार ने राज्य सा.क्षे.उ. को ₹ 5094.53 करोड़ अंशदान, ऋणों एवं अनुदानों/आर्थिक सहायता के रुप में योगदान दिया था।

(*पैराग्राफ* 2.1.2 *एवं* 2.1.3)

17 कार्यशील सा.क्षे.उ. जिनके लेखे 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त किए गए थे, में से ग्यारह सा. क्षे. उ. ने ₹ 1315.42 करोड़ का लाभ अर्जित किया, पाँच सा.क्षे.उ. को ₹ 2950.45 करोड़ का घाटा हुआ और एक सा.क्षे.उ. में न हानि न लाभ की स्थिति थी।

(*पैराग्राफ* 2.1.5)

सितम्बर 2014 तक चार सा.क्षे.उ. के 14 लेखे बकाया थे। लेखों को अंतिम रुप देने में हुई देरी के परिणामस्वरुप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

(*पैराग्राफ* 2.1.6)

अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान अंतिम रुप दिए गए 15 लेखों में से छः लेखों ने योग्यता प्रमाणपत्र तथा एक ने असत्य व अनुचित प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। तीन कम्पनियों एवं दो निगमों के लेखों में लेखामानकों (ले.मा.) का अनुपालन न होने के छः दृष्टांत थे।

(*पैराग्राफ* 2.1.7)

दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन किया गया। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं :

- कंपनी के गठन के 39 वर्षों के बाद (1975) भी इसके पास पर्यटन के विकास हेतु कोई भावी योजना नहीं थी।

(*पैराग्राफ* 2.2.3.1)

- दिल्ली में कुल पर्यटक आगमन में 108 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी पंजीकृत की गई, जबकि 2009–14 के दौरान कम्पनी के निजी पर्यटन स्थलों में केवल 30 *प्रतिशत* तक की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली हाटों में खाली शिल्प व भोजन स्टालों और नियमित रुप से सांस्कृतिक आयोजन न करने के परिणामस्वरुप पर्यटकों का आना कम हुआ जिसके कारण भारतीय कला व शिल्पों, संस्कृति व पाक कला का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं हो पाया।

(*पैराग्राफ* 2.2.3.3 *एवं* 2.2.4.2 (ii), 2.2.4.3 *एवं* 2.2.4.4)

- 2012–13 में ₹ 18.47 करोड़ से 2013–14 में ₹ 5.32 करोड़ तक के कुल निवल लाभ कम हो गया। कम्पनी के पर्यटक स्थल जैसे दिल्ली हाट–पीतमपुरा तथा गार्डन ऑफ फाईव सेंसिज (जी.एफ.एस.) को कम आय तथा ऊँची नियत लागतों के कारण वर्ष 2009–14 के दौरान क्रमशः ₹ 5.58 करोड़ तथा ₹ 1.60 करोड़ की हानि हुई। पर्यटन तथा यात्रा डिविजन को 2009–14 के दौरान क्रमशः 28.30 करोड़ तथा ₹ 2.63 करोड़ की हानि हुई, क्योंकि व्ययों को पूरा करने के लिए आय पर्याप्त नहीं थी।

(*पैराग्राफ* 2.2.2.1, 2.2.4.1 (ii) *एवं* (iii), 2.2.4.5 *एवं* 2.2.4.6)

- आऊटसोर्स किए गए पाँच कॉफी होम द्वारा अर्जित ₹ 4.59 करोड़ का लाभ विधानसभा की कैंटीन और विभाग द्वारा संचालित कॉफी होम को हुए घाटे से समाप्त हो गया जिससे कैटरिंग विभाग को ₹ 1.37 करोड़ का घाटा हुआ।

(*पैराग्राफ* 2.2.4.7)

- कुल टर्नओवर में मद्य बिक्री का योगदान 91 *प्रतिशत* से अधिक था परंतु लाभ में इसका हिस्सा मात्र 13 से 42 *प्रतिशत* के बीच था। भण्डार के उपलब्ध होने के बावजूद बिना औचित्य के उच्चतर वृद्धि के घटक को लागू कर मद्य क्रय हेतु आदेश दिया गया। कम्पनी के पास अपने मद्य विक्रय केंद्रों को रीब्राण्ड या नवीनीकृत करने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।

(*पैराग्राफ* 2.2.2.1 (i) *एवं* 2.2.5.2)

- मयूर विहार दिल्ली हाट परियोजना हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व विद्युत सेवाओं के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप ₹ 6.95 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संविदाओं में वृद्धि उपबन्ध के अनियमित ढंग से जोड़े जाने के परिणामस्वरुप तीन निर्माण कार्यों में ₹ 117.06 का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(*पैराग्राफ* 2.2.4.9 (iii) *एवं* 2.2.6.3)

लेन–देन लेखापरीक्षा

दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में प्रभावी निधि प्रबंधन व कर नियोजन की कमी के परिणामस्वरुप ₹ 2.46 करोड़ के ब्याज की हानि, ₹1.71 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ, ₹ 2.28 करोड़ के कर ब्याज का लाभ नहीं लिया गया तथा दिल्ली इन्टीग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम (डी.आई.एम.टी.एस.) को किराए में ₹ 1.57 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने परिवहन विभाग से प्राप्त ऋणों पर देय ब्याज पर दण्डात्मक ब्याज के रुप में ₹ 3.72 करोड़ की परिहार्य देयता उत्पन्न की।

(*पैराग्राफ* 2.2.10)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

दिल्ली राज्य स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट की लागत का ₹116.86 करोड़ जारी होने के बावजूद यह अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाया। इसके बाद निष्पादन में परियोजना के क्रियान्वयन में लापरवाही तथा आँकड़ों की प्रयोज्यता के बारे में अनिश्चितता का पता चलता है, जिससे ₹ 50.29 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। 38 सम्बन्धित विभागों में से जियो स्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जी एस डी एल) ने मात्र चार संबंधित विभागों के साथ स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर किए। इस अनुमान में ₹ 7.23 करोड़ के कुछ आवश्यक घटकों को शामिल नहीं किया गया। आँकड़ा केन्द्रों की स्थापना हेतु जारी ₹ 3.00 करोड़ की निधि अप्रयुक्त रही।

(*पैराग्राफ* 2.2.11)